

**Office of the Managing Director
PVVNL, Victoria Park, Meerut.**

Bid Procedures:

Sale of Bid Document -

A complete set of Tender documents can be downloaded online by the bidders on payment of a non-refundable Rs.1180.00 (**1000.00 tender fees + 180.00 GST 18% GST**) (Rs One Thousand One hundred Eighty only) through RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut.

The Tender document can also be downloaded from discom Web site i.e. www.pvvnl.org or E-tender website i.e. www.etender.up.nic.in. Both Parts shall be filled compulsorily online by visiting at www.etender.up.nic.in.

Earnest Money Deposit (EMD) -


All bidders are required to deposited **EARNEST MONEY of Rs 8,000.00/- (Rs. Eight thousand only)** in the form of RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut along with the bid.

The bids received without required Earnest Money & Tender fees shall be rejected without further reference. No interest shall be payable by PVVNL on the Earnest Money deposited by Bidder.

Detail of Bank :

Name of Account Holder	-	SE (HQ), PVVNL, Meerut.
Bank Account No.	-	3493639431
Name of Bank & Branch	-	Central Bank of India, Jail Chungi, Meerut.
I.F.S.C. Code	-	CBIN0282337

The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereto.


Superintending Engineer (HQ)
अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
PVVNL, Meerut.

NOTE:

- i) This Agreement is to be filled in and enclosed with tender Bid Part-I.
- ii) To be made on non judicial stamp paper of Rs. 10/- + Revenue Stamp of Rs. 1/-.

AGREEMENT

Tender Invited by

Superintending Engineer (HQ)
PVVNL, Victoria Park, Meerut.

Tender Specification No

05/PVVNL/MT/HQ/Premium Sedan (White Colour)/2022-23

Tender Invited for (Name of work)

Name of Tenderer

In consideration of the **PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**, having treated the tenderer to be an eligible person whose tender may be considered, the tenderer hereby agree to the conditions that the proposal in response to the above invitation shall not be withdrawn within 180 days from the date of opening of tender bid Part -I & II, also to the conditions that if thereafter the tenderer does withdraw his proposal within the said period, the earnest money deposited by him may be forfeited to the U.P. Power Corporation Ltd. in the discretion of the later.

Signed this _____ day of _____ 2022.

Witness :

- (i)
- (ii)

Signed by Tenderer
With Official Seal



अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

(TENDER FORM)

Tender. No. 05/PVVNL/MT/HQ/Premium Sedan (White Colour)/2022-23
(To be filled and submitted by the Tenderer in Tender Bid Part-I)

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO TENDERERS:

Your tender shall not be considered if you fail to submit this form duly filled UP Replies should be complete without ambiguity and should be clearly written against each item. Terms such as "Refer covering Letter" etc. shall not be acceptance you may however, attach extra sheets if the space left is not sufficient.

S.No.	Particulars.	
1.	Tender No. against which you have tendered.	
2.	Receipt No. and date by which cost of tender specification was deposited by you.	
3.	Name and address of tendered.	
4.	Location of offices.	
5.	Amount of earnest money deposited with full details, be submitted here. (Enclose)	
6.	Quantity offered (if there are two or more items, state quantities separately with units) with tolerance.	Full.
7.	Do you agree to all conditions of the tender specification.	
8.	Name and detailed address of your authorized representative with email id and mobile No. against this tender.	
9.	Full name, Mobile number, and Email ID of tenderers, proprietor / partners Directors be given.	
10.	Give GST Registration No. enclose copy	
11.	Firm Bank Details:-	
	Bank Name	
	IFSC Code	
	Account Number	
	Branch Name	
	Branch Address	
12.	Please enclose statement of past/current supplies/ execution of works of similar nature along with order copies.	
13.	Whether all the scheduled and documents required have been submitted or not ?	
PRICE		
14.	If your quoted prices are inclusive of any taxes/ duties other charges except GST, give details of such taxes / duties other charges included and at what rates ?	

Date:

Place:

Signature of the Tenders
Name:

Status:

Seal of the Tendering Company

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
 नैनीताल विद्युत वितरण निगम लि.
 ग्रेडिया पार्क, मेरठ

1. अर्हताएँ (प्री क्वालीफाईंग शर्तें)

फर्म को निविदा के भाग-प्रथम में निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी तथा निविदा का भाग-द्वितीय नहीं खोला जायेगा।


1. जीएसटी विभाग द्वारा जारी फर्म के पंजीकरण का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र।
2. फर्म/फर्म के स्वामी का पैनकार्ड/आधारकार्ड की छायाप्रति।
3. फर्म की बैंक पास बुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति नवीनतम 06 माह सहित।
4. फर्म द्वारा जमा किया गया निविदा शुल्क व ई0एम0डी0 धनराशि की स्लिप/पावती की छायाप्रति।
5. फर्म को ब्लैक लिस्टेड/वर्क डिबार्ड नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में शपथ पत्र/प्रमाण पत्र।

2. अन्य नियम एवं शर्तें :-

1. केवल उन्हीं फर्म/ठेकेदारों की निविदाये खोली जायेगी जिसके द्वारा उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र भाग-प्रथम में संलग्न किये जायेगे, अन्यथा उनका भाग द्वितीय नहीं खोला जायेगा।
2. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मुख्यालय, मेरठ पर तैनात निदेशक (तकनीकी) हेतु 01 नग वाणिज्य पंजीकृत, प्रीमियम सिडान (हौंडा सिटी वी0एक्स0एम0टी0/हुंडाई क्रेटा/सियाज/किआ सेल्टोस) (सफेद रंग), (डीजल चालित) (वाहन चालक सहित), वाणिज्यक पंजीकृत, (मॉडल वर्ष 2021 से पुराना न हो), किराये पर उपलब्ध कराने होंगे।
3. फर्म/ठेकेदार के बीजको पर आयकर कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
4. वाहन देते समय फर्म को वाहन के पूर्ण कागजातों की मूलप्रति उपलब्ध करानी होगी। गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
5. दुर्घटना की दशा में सम्बन्धित वाहन चालक को क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
6. निविदादाता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत अपने कर्मों का बीमा करायेगा।
7. फर्म द्वारा रखा गया चालक उसका ही कर्मचारी होगा।
8. फर्म के निविदाकर्मी की किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत विभाग द्वारा लागू प्राविधानों के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार के परिजनों को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।
9. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार वाहन पर फास्टटैग लगा होना अनिवार्य है। अतः फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन पर फास्टटैग लगा होना सुनिश्चित किया जायेगा। जिसका रिचार्ज फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा मासिक बिल के साथ फर्म द्वारा माह में लगे टोल टैक्स की रसीदे सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करनी होगी, जिनका भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
10. यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता विभाग के संज्ञान में आती है तो तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध शून्य होने अथवा अनियमितता के फलस्वरूप समस्त धनराशि का दायित्व फर्म का होगा तथा विभाग एवं तदनु रूप लागू प्राविधानों के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की धनराशि शास्ति के रूप में उस पर अवधारित की जाती है तो उसके जमा के लिए भी फर्म उत्तरदायी होगी।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी कारण बतायें किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. वाहन की सीटों पर सफेद रंग के तौलिये लगे होने चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर सीटों पर लगे तौलियों की धुलाई सफाई करना तथा वाहन की अन्दर व बाहर से नियमित रूप से धुलाई व सफाई, फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में फर्म पर प्रति दिन रू0 100.00 की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
13. निरस्त की गयी निविदा की ई.म.डी धनराशी अथवा टेन्डर फीस धनराशी किसी अन्य निविदा में समायोजित नहीं की जायेगी।
14. किसी भी दुर्घटना की दशा में समस्त क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
15. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्टेक्ट 01 वर्ष की अवधि का होगा। जिसको आपसी सहमति/Performance के आधार पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
16. फर्म को जी.एस.टी. यथा अनुमन्य देय होगा तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई कर देय नहीं होगा।
17. फर्म द्वारा जमा किये गये प्रपत्रों में कोई प्रपत्र मिथ्या (False) पाया जाता है, तो फर्म द्वारा जमा की गई ई0एम0डी0 धनराशि को जब्त कर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही (काली सूची में डालना आदि) की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
18. विभाग द्वारा विलम्ब से भुगतान प्राप्ति अथवा समय से अवमुक्त न होने की दशा में फर्म को कम से कम 3 माह तक अपने स्तर से वाहन का रख-रखाव एवं अपने कर्मियों को भुगतान करना होगा।

अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

19. कार्य में सम्मिलित कर्मचारी भविष्य में सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विरुद्ध दायर नहीं करेंगे, न ही वह मान्य होगा।
20. वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन चालक को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त हो।
21. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की प्रति किमी0 डीजल की खपत 13 किमी/प्रति ली0 से कम नहीं होनी चाहिए।
22. वाहन वर्ष 2021 से पुराना न हो।
23. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट होगा तथा विभाग द्वारा फर्म को एल0ओ0आई0 निर्गत करने के 07 दिन के अन्दर वाहन (चालक सहित) उपलब्ध कराना होगा।
24. गाड़ी के वाहन चालक का लाइसेन्स वाणिज्यिक श्रेणी में नवीनीकृत/पंजीकृत होना चाहिये।
25. विभाग द्वारा दैनिक उपभोग हेतु डीजल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री फर्म/वाहन चालक को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
26. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राइवर का व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ होना आवश्यक है।
27. यदि किसी ड्राइवर के व्यवहार/कार्यशैली सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो फर्म को सूचित करने के (फोन/व्हाट्सप्प/मेल द्वारा) 24 घण्टे के अन्दर अन्य व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में क्र0सं0 12 में वर्णित दर से पेनल्टी लगाई जायेगी जिसकी धनराशि फर्म के बीजको से समायोजित की जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
28. फर्म के चालक को गाड़ी की लोग बुक का रख-रखाव करना होगा तथा प्रतिदिन गाड़ी चलने की किमी रीडिंग को सत्यापित कराकर विभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित करना होगा।
29. फर्म को लोगबुक सत्यापन के आधार पर बीजक प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
30. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के पास फर्म द्वारा निर्गत वैद्य आई.डी. होनी अनिवार्य होगी।
31. गाड़ी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाड़ी 03 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू0 100.00 प्रति घण्टे की दर से तथा पूरे दिन उपलब्ध न कराने की दशा में प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाड़ी उपलब्ध नहीं रही है) फर्म के बीजक से काटी जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी तथा उस दिन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
32. गाड़ी के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी। यदि गाड़ी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण गाड़ी मालिक का होगा।
33. विवाद की स्थिति में, न्यायालय का क्षेत्र मेरठ होगा।
34. अनुबन्ध के समय फर्म को रू0 100.00 का नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा, जिस पर अनुबन्ध किया जायेगा जिसके साथ निविदा की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी की एफडीआर/बैंक गारण्टी 18 माह की अवधि के रूप में, जो अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) (SE HQ PVVNL, Meerut) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करनी होगी।


 अधीक्षण अभियन्ता (मु0)
 कृते प्रबन्ध निदेशक
 अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
 निम्नोरिया पार्क, मेरठ